

(अपील संख्या एस-11-ए-0640 / 2024)

श्री मुकुल कुमार गर्ग बनाम ज0सू0अ0 नियोजन अनुभाग, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।

समक्ष-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 राज्य सूचना आयुक्त।

आदेश

अपीलार्थी श्री मुकुल कुमार गर्ग स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी का कथन है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं पर पत्र दिनांक 05.02.2025 के माध्यम से आपत्ति की गई थी, जिसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। करायें। तत्क्रम में अपीलार्थी द्वारा 05-02-2025 को आपत्ति प्रस्तुत की गई है।

अतः न्यायहित में जनसूचना अधिकारी नियोजन अनुभाग, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को इस आशय की नोटिस निर्गत की जाए कि अपीलार्थी की उक्त आपत्ति का निराकरण हुए 07 दिन के भीतर अपना लिखित अभिकथन अगली सुनवाई तिथि पर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा उनके विरुद्ध "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" की धारा 20(1) के अन्तर्गत रु0 25,000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

वाद सुनवाई के लिए दिनांक 17.04.2025 को पेश हो।

04.03.2025